

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4) () छात्रवृत्ति / सान्याअवि / शिक्षा विभाग / 2020-21 / 32401

दिनांक : 28/7/21

आदेश

राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में राज्य के केवल राजकीय विद्यालयों के कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल के माध्यम से दिनांक 16 अगस्त 2021 तक आमंत्रित किए जाते हैं। विद्यार्थी शालादर्पण पोर्टल के स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रारूप अपने विद्यालय के संस्था प्रधान से प्राप्त कर सकते हैं।

क्र. सं.	विषय वस्तु	अन्तिम तिथि
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु केवल राजकीय विद्यालयों के कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा संस्था प्रधान से शालादर्पण पोर्टल के अनुसार ऑनलाईन रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने एवं संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएँ ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अन्तिम तिथि	16 अगस्त 2021

कक्षा 11 एवं 12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी www.sje.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। शिक्षा विभाग की वैबसाइट <https://education.rajasthan.gov.in/content/raj/education/secondary> एवं शाला दर्पण पोर्टल के स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल पर भी छात्रवृत्ति से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेजों का विवरण उपलब्ध है एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष न. 1800-180-6127 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(ओ.पी. बुनकर)


निदेशक एवं

पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9(4)() छात्रवृत्ति/सान्याअदि/शिक्षा विभाग/2020-21/ 32401-503 दिनांक : 28/3/21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
7. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
8. वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज. जयपुर।
9. जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी, (समस्त)।
10. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
11. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
12. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....।
13. उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।
14. संस्था प्रधान, राजकीय शिक्षण संस्थाएं.....।
15. सिस्टम एनालिस्ट (JD) मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
16. उभ निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
17. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
18. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)